	16/5/17	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मोरीजा मे पेश हुई। प्रा० पत्र 06 R 17 का पेश हुआ। मूल वाद मे प्रा० पत्र स्वीकार किया जा चुका है। अतः इस पत्रावली मे भी प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र पर पक्षकारो को सुना गया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 उप० है। प्रार्थी वादी ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 तीनो भाईयो ने दिनांक 3/11/08 को इकरारनामा की शर्तों के अनुसार विवादित

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

खा० खसरा न० 2005 रकबा 1.68 हैक्टर मेसे 0.02 हैक्टर भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने वास्तविक रूप से प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को कर दिया था तथा उक्त बेचान की प्रतिफल की राशि भी अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने ही प्राप्त की थी। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के मध्य जरिये इकरारनामा दिनांक 3/11/08 को इकरार हुआ था कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने HDFC बैंक से ऋण ले रखा है व उक्त विवादित भूमि रहन रखी गई है इस प्रकार उक्त प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को 0.02 हैक्टर भूमि प्रार्थी/वादी दे देगा बाद मे प्रार्थी/वादी के उक्त बेचान की गई भूमि के बदले अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी खातेदारी भूमि मे से नाम करवा देंगे।

प्रार्थना पत्र व मूल वाद का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने मूल वाद मे दिनांक 3/2/11 को राजीनामा प्रस्तुत कर रखा है। जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया है। इस प्रकार विवादित भूमि मे प्रार्थी का हक व हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त बखूबी साबित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को विवादित भूमि खा० खसरा न० 2803, 2805, 2809 कुल किता-3 का कुल रकबा 3.88 हैक्टर भूमि वाके ग्राम मौजा तह० चौमू की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला वाद पाबन्द किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner